



3. दिनांक 07.03.2012 को ट्रस्ट द्वारा दाखिल किये गए प्रार्थना पत्र और भेरे समक्ष दिनांक 28.08.2012 को निवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्याँरो व दरतावेजों को जाँचने के पश्चात्, स ट्रस्ट के उद्देश्यों और उनके कार्य-कलापों की वास्तविकता से सहमत हूँ। तदनुसार, ट्रस्ट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकरण स्वीकृत किया जाता है और इस संबंध में कानून की सभी अपेक्षाओं को अनुपालना जारी रहेगी और इस कार्यालय में धारा 12ए के अधीन रखे

2. यह सत्यापित करने के लिए धारा 12ए के अधीन सभी शर्तें पंजीकरण हेतु पूरी कर ली गई हैं, पत्र फ. सं आ.आ./फरी./तक/12ए/2011-12/153/2961 दिनांक 21.08.2012 ट्रस्ट को जारी किया गया था और ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्याँरो और दरतावेजों को जांचा गया।

दिनांक 07.03.2012 को आवदन निर्धारित फर्म 10ए भरकर इस कार्यालय में दाखिल किया है। गुजराव, ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन हेतु अर्पण मुख्याध्याय भूमिखल ट्रस्ट, 24/801, हैरिटेज सिटी, एम.जी. रोड, डी.एल.एफ-11,

आयकर अधिनियम 1961, की धारा 12ए(1)(ब)(i) के अन्तर्गत आदेश

1. फाइल संख्या : आ.आ./फरी./तक/12ए/2011-12/153/44/8139
2. प्रार्थी का नाम एवं पूरा पता : अर्पण मुख्याध्याय भूमिखल ट्रस्ट, डी.एल.एफ-11, गुजराव।
3. हैसियत : ट्रस्ट
4. आदेश की तारीख : 29.08.2012

यू. सी.जी.ओ. कम्पलेक्स, एन.एच. (IV), एन.आई.टी. फरीदाबाद।

भारत सरकार
राजस्व मंत्रालय
आयकर विभाग
कार्यालय आयकर आयुक्त,



आयकर अधिकारी, मुख्य, मुंबई (तक)
केंद्र आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।

(आ.प्र. पुनर्निर्माण)
[Handwritten Signature]

3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-1, गुडगांव।
2. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1, गुडगांव।

गुडगांव।

1. अधीन मुख्याध्याय समीरियल ट्रस्ट, 24/801, इरिटेज सिटी, एम.जी. रोड, जी.एल.एफ-11, गुडगांव।

प्रतिनिधि:



आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।

(रतन किशोर बजाज)

हस्ता /

4. यह आदेश निर्धारण वर्ष 2012-13 एवं इसके उपरान्त के वर्षों पर लागू होगा।
गण प्रार्थना पत्र रजिस्टर में दिनांक 29.08.2012 को ट्रस्ट का पंजीकरण आ.आ./कसी./तक/12ए/2011-12/153/44 को इस उद्देश्य हेतु रिकार्ड में भी ले लिया गया है।

- अधीन मुख्याध्याय समीरियल ट्रस्ट, गुडगांव -
- धारा 12ए -